संख्या- 170 / 2025 / 936 / चार-2025-1910291

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2025

विषय:- जनपद मैनपुरी में प्रेक्षागृह व बहुद्देशीय हॉल तथा संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में। ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1351 /उ0प्र0सं0नि0-5(136)/2022-23, दिनांक 17 मार्च, 2025, पत्र संख्या- 1123 /उ0प्र0सं0नि0-5(136)/2022-23, दिनांक 11 मार्च, 2025 एवं पत्र संख्या- 1301 /उ0प्र0सं0नि0-5(136)/2022-23, दिनांक 08 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद मैनपुरी में प्रेक्षागृह व बहुद्देशीय हॉल तथा संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 1250.00 लाख आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. शासनादेश संख्या- 76/2024/ 7181/चार-2023 दिनांक 03 फरवरी, 2024 द्वारा जनपद मैनपुरी में सांस्कृतिक केन्द्र एवं संग्रहालय के निर्माण कार्य हेतु रू0 3800.11 लाख एवं 05 वर्ष तक के अनुरक्षण हेतु रू0 698.93 लाख के अनुमन्य व्यय सहित रू0 4499.04 लाख (5 वर्ष के आपरेशन एण्ड मैनेजमेन्ट के अनुमन्य व्यय सहित) की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक रू0 750.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3. जनपद मैनपुरी में प्रेक्षागृह एवं बहुद्देशीय हॉल के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या- 70/2024/ 487/चार-2024 दिनांक 02 फरवरी, 2024 द्वारा रू0 2461.61 लाख (रू0 चौबीस करोड़ इकसठ लाख इकसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक रू0 750.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

4. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में जनपद मैनपुरी में सांस्कृतिक केन्द्र एवं संग्रहालय के निर्माण कार्य हेतु रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा जनपद मैनपुरी में प्रेक्षागृह एवं बहुद्देशीय हॉल के निर्माण कार्य हेतु रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-106-संग्रहालय -14-जनपद मैनपुरी में संग्रहालय का निर्माण -24 वृहत निर्माण कार्य मद से संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) जनपद मैनपुरी में सांस्कृतिक केन्द्र एवं संग्रहालय के निर्माण कार्य के संबंध में शासनादेश संख्या- 319/2024/ 2557/चार-2024 दिनांक 03 सितम्बर, 2024 तथा शासनादेश संख्या- 76/2024/ 7181/चार-2023 दिनांक 03 फरवरी, 2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

(2) जनपद मैनपुरी में प्रेक्षागृह एवं बहुद्देशीय हॉल के निर्माण कार्य के संबंध में शासनादेश संख्या- 320/2024/2515/चार-2024 दिनांक 03 सितम्बर, 2024 तथा शासनादेश संख्या- 70/2024/ 487/चार-2024 दिनांक 02 फरवरी, 2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(3) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) बचत की धनराशि उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(5) जिस मद में पुनर्विर्नियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(6) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(7) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

(9) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

5. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-106-संग्रहालय -14-जनपद मैनपुरी में संग्रहालय का निर्माण -24 वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न आय-व्ययक प्रपत्र-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों से वहन किया जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा दी गयी सहमति एवं तत्क्रम में आवंटित आर.ई. संख्या- बजट-1-826-E-7-398-X-2024-25- दिनांक 27 मार्च, 2025 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 170 / 2025 / 936 (1)/चार-2025-1910291 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, यूनिट-43, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, फर्रूखाबाद (मुख्या0 कन्नौज)
9- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20242025-870 Reapp Mainpuri Museum

विषय:- जनपद मैनपुरी में प्रेक्षागृह व बहुद्देशीय हॉल तथा संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण ,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048008903 (संत रविदास संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केन्द्र, वाराणसी)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	8,13,00,000 रुपये आठ करोड़ तेरह लाख मात्र	8,13,00,000 रुपये आठ करोड़ तेरह लाख मात्र	7,00,00,000 रुपये सात करोड़ मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	5,13,00,000 रुपये पाँच करोड़ तेरह लाख मात्र	2024-2025
092	4202041068902 (संत कबीर संग्रहालय, वाराणसी)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	5,50,00,000 रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र	5,50,00,000 रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र	5,50,00,000 रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	3,50,00,000 रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र	2024-2025
कुल					₹ 12,50,00,000	₹ 5,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202041061400 (जनपद मैनपुरी में संग्रहालय का निर्माण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	12,50,00,000 रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	15,00,00,000 रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र	2024-2025
कुल				₹ 12,50,00,000	₹ 5,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-
1- उपलब्ध बचत का कारण:- वास्तविक व्यय के कारण।
2- अनुदान के सापेक्ष अधिक व्यय :- परियोजना समायान्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण पुनर्विनियोग हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।
संख्या:RE-budget-1-826-E-7-398-X-2024-25-दिनांक:27-03-2025

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

कुंवर मकरन्द सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या- 170 / 2025 / 936 (1)/चार-2025-1910291 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, उ0प्र0 संग्रहाि◌लय निदेशालय, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ। ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (ई-7) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in